

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2023/56

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- चन्द्र प्रकाश वर्मा  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इक्तादाई

मुकदमा नम्बर :- 21/2023 (रणवीर सिंह बनाम हनुमानाराम वगैरह)


निर्णय दिनांक :- 04.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.09.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम ईशरपुरा की सरहद में स्थित भूमि हाल ख0न0 118 रकबा 1.60 है0, ख0न0 186/213 रकबा 0.17 है0, ख0न0 187 रकबा 1.68 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.45 है0 तथा ग्राम इन्द्रपुरा की सरहद में स्थित भूमि हाल ख0न0 243/211 रकबा 0.84 है0 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 04.09.2024 को जारी की गई।



  
(चन्द्र प्रकाश वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर